

प्रेषक,

जनार्दन प्रसाद यादव,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं. 2, मऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मऊ।

विषय:- जी.ओ. संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लिये जाने के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्तर्गत शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है, जिसके सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप विकल्प पत्र/घोषणा पत्र, पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन शासनादेश योजना के तहत पेंशन लाभ प्रदान किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक:-23.07.2024

भवदीय

Jnanardn Prasad Yadav
(जनार्दन प्रसाद यादव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं. 2 मऊ।

संलग्नक:-

1. घोषणा पत्र/विकल्प पत्र।

Office of the District Judge - Muz.
Batter No. 684/Admn. - 20, dt. 24/07/24
Forwarded for information and
necessary ction.

District Judge


Muz

23/07/24

विकल्प पत्र

1. नाम- जनार्दन प्रसाद यादव
2. वर्तमान पद नाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 2, जनपद मऊ।
3. वेतन मान- जे-5 (144840-194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- न्याय विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग उ०प्र० इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि- 22-28 नवम्बर 2003 रोजगार समाचार (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 17.06.2006
8. योगदान की तिथि- 17.06.2006
9. जन्म तिथि- 02.03.1967
10. सेवा निवृत्ति की तिथि- 31.03.2027

मैं जनार्दन प्रसाद यादव पुत्र स्व० श्री रामपलट यादव शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/सा-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (हां) / नवीन पेंशन योजना (नहीं) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।


हस्ताक्षर

नाम- जनार्दन प्रसाद यादव
पद नाम- अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश कोर्ट सं. 2
मऊ।

घोषणा पत्र

मैं जनार्दन प्रसाद यादव.. पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मऊ यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या -01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


हस्ताक्षर

नाम- जनार्दन प्रसाद यादव
पद नाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.- 2 मऊ।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती... जनार्दन प्रसाद यादव पदनाम... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को...
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) / नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/ सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।